संख्या-17/2019/424/बावन-1-2019-अधि0 (बजट)/19

प्रेषक,

हरी राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2019**

विषय- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय अधिष्ठान तथा मण्डलीय/जिला कार्यालय अधिष्ठान के आय-व्ययक के कतिपय मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-5799/अ0सं0क0नि0-52/लेखा-/बजट-प्रावि0/2018-2019, दिनांक 22.02.2019 एवं पत्र संख्या-5800/अ0सं0क0नि0-52/लेखा-/बजट-प्रावि0/ 2018-2019, दिनांक 22.02.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा क्रमश: 03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते तथा पुनरीक्षित वेतन के अवशेष तथा 04-मण्डलीय तथा जिला कार्यालय अधिष्ठान के वेतन, महगांई भत्ता, अन्य भत्ते तथा वाहनों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद जैसे वचनबद्ध मदों में आवश्यकता से बहुत कम धनराशि होने के कारण निदेशालय तथा जनपदों में वेतन वितरण आदि में हो रही कठिनाई तथा तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत **संलग्न बी0एम0-9** प्रपत्रों को उपलब्ध कराते हुए प्रश्नगत मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-533/ई-4-156(1)/दस-2019, दिनांक 08.03.2019 (बी0एम0-9 प्रपत्र) एवं पत्र संख्या-534/ई-4-156/दस-2019, दिनांक 08.03.2019 (बी0एम0-9 प्रपत्र) की मूलप्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नलिखित शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे:-

1- अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 मार्च 2018 (यथा संशोधित) तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 का शासनादेश दिनाक 01 सितम्बर 2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा. जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

4 - जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है। उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

5- अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय द्वारा प्रस्तावित पुनर्विनियोग की धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

संलग्नक-यथोक्त।
बी0एम0-9 प्रपत्र-1 व 2 (मूलरूप में)

भवदीय,

(हरी राम)
उप सचिव।

संख्या-424(1)/बावन-1-2019-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
5- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in